क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible].02.2025	पत्रावली पेश हुई।	

प्रार्थिनी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण 2, 4 से 18 एकतरफा। विप्रार्थीगण 3 की ओर से वकील श्री गजेसिंह ने पूर्व में अण्डरटेंकिग ली परन्तु आदिनांक वकालातनामा पेश नहीं किया है। एवं विप्रार्थीगण 3 की तलबी पूर्ण हो चुकी है। बावजूद सूचना के विप्रार्थी संख्या 3 अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में आई जाती है। प्रार्थिनी वकील की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थिनी विवादित भूमि की रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करती आ रही है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थिनी की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थिनी की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है।

अतः प्रार्थिनी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहती है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम फुलण तहसील समदडी के खसरा संख्या 263/22 रकबा 1.1331 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदडी को 2000/– रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थिनी मौके पर अदा करेंगी। आवश्यकता होने पर तहसीलदार समदडी को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पा[illegible] पा[illegible] प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट [illegible] होने पर शामिल पत्रावली की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.03.13 14:27:50 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बा[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

क्रमांक: वाद/2025/243

दिनांक : 12-02-2025

प्रार्थिनी   **बनाम**   **विप्रार्थीगण**

धनीदेवी पत्नी हरूराम

राज्य सरकार जरिये
तहसीलदार समदड़ी वगैरह

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी</u>

राजस्व आवेदन संख्याः–43/2023   **दिनांकः–05.02.2025**

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम फूलण तहसील समदड़ी के खेत खसरा संख्या 263/22 रकबा 01.1331 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदड़ी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क रूपये 2000/–प्रार्थिनी मौके पर अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांकः वाद/2025/244

दिनांक : 12-02-2025

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. तहसीलदार समदड़ी
2. थानाधिकारी, पुलिस थाना समदड़ी
3. हल्का पटवारी सांवरड़ा को तहसीलदार समदड़ी द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थिनी धनीदेवी पत्नी हरूराम जाति विश्नोई निवासी फूलण तहसील समदड़ी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.03.13 14:27:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)